छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

मुख्यालय पर्यावास भवन नॉर्थ ब्लॉक,
सेक्टर–19 अटल नगर जिला रायपुर (छ.ग.)
Email Id-ceocghb@gmail.com website-www.cghb.gov.in
Ph.No.0771-2512123.

क्र. 1566 / सं.प्र.शा. / मु.सं.अधि. / मुख्या / फा.नं.– नवा रायपुर, दिनांक 17/09/2021

प्रति,

संपदा अधिकारी,
छत्तीसगढ गृह निर्माण मण्डल
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र–1,2,3 रायपुर / राज.परि. प्रक्षेत्र–रायपुर / दुर्ग / जगदलपुर / धमतरी / बिलासपुर / कोरबा

विषय :– मण्डल की चिन्हांकित 14 आवासीय एवं 07 व्यावसायिक संपत्तियों के ऑनलाईन विक्रय किये जाने हेतु सामान्य दिशा–निर्देश।

संदर्भ :– मुख्यालय का आदेश कमांक 17 दिनांक 11 / 08 / 2021

––***–––

विषयांतर्गत संदर्भित आदेश कमांक 17 दिनांक 11 / 08 / 2021 द्वारा छूट की योजनांतर्गत विक्रय हेतु मण्डल की चिन्हांकित 14 आवासीय एवं 07 व्यावसायिक संपत्तियों का विक्रय हेतु दिनांक 17 / 09 / 2021 को विज्ञाप्ति प्रसारित की गई है। उपरोक्त परिशोधना अंतर्गत भवनों के पंजीयन हेतु केवल ऑनलाईन ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे, यदि किसी संपदा अधिकारी / कार्यालय द्वारा ऑफलाईन आवेदन प्राप्त करते है तो नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। भवनों का आबंटन प्रति शुक्रवार के स्थान पर विज्ञाप्ति दिनांक से 15–15 दिन के अंतराल में प्राप्त ऑफर को खोला जायेगा। मण्डल की वेबसाईट www.cghb.gov.in एवं मण्डल का मोबाईल ऐप CGHB में संबंधित योजना का पूर्ण विवरण प्रविष्टि है। तत्संबंध में संपत्तियों के विक्रय हेतु सामान्य दिशा–निर्देश (परिशिष्ट–"अ") तैयार कर संलग्न प्रेषित है।

कृपया मण्डल की वेबसाईट एवं मोबाईल ऐप का अवलोकन करते हुए संलग्न गाईड लाईन के अनुसार प्राथमिकता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

17/9/2021

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय,पर्यावास भवन,नवा रायपुर
अटल नगर जिला रायपुर

पृ क्रमांक1567 / सं.प्र.शा. / मु.सं.अधि. / मुख्या / नवा रायपुर, अटल नगर दिनॉक 17 / 09 / 2021

प्रतिलिपिः–

1. **स्टॉफ आफिसर,** अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. **स्टॉफ आफिसर,** आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. **अपर आयुक्त,** मुख्यालय छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नवा रायपुर / दुर्ग / विलासुपर की ओर सूचनार्थ।

क्रमशः–02

Scanned with CamScanner

4. **मुख्य लेखा अधिकारी,** छत्तीसगढ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. **उपायुक्त,** छत्तीसगढ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त–रायपुर/नवा रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. **कार्यपालन अभियंता,** छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग–1/2/3 रायपुर/राज.पि. 01 नवा रायपुर अटल नगर/दुर्ग/जगदलपुर/बिलासपुर/कोरबा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. **एन.आई.सी. (प्रभारी)** छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

17/9/2021

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय,पर्यावास भवन,नवा रायपुर
अटल नगर जिला रायपुर

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

परिशिष्ट – "अ"

गुख्यालय पर्यावास भवन नॉर्थ ब्लॉक,
सेक्टर–19,नवा रायपुर,अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.)

मण्डल के चिन्हांकित 14 आवासीय एवं 07 व्यावसायिक योजना हेतु सामान्य दिशा–निर्देश

1. मण्डल की चिन्हित परियोजना अंतर्गत भवनों का पंजीयन/आवंटन/विक्रय केवल ऑनलाईन किया जावेगा एवं संबंधित संपत्तियों हेतु मैन्युअल आवेदन स्वीकार नही किया जावेगा। यदि किसी संपदा प्रबंधन द्वारा ऑफलाईन अंतर्गत आवेदन प्राप्त करते है तो उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
2. भवन/दुकान हॉल के पंजीयन हेतु भवन मूल्य का 05% धरोहर/पंजीयन राशि ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ PAYMENT GATEWAY के माध्यम से ही स्वीकार किया जावेगा।
3. मण्डल की चिन्हित परियोजना अंतर्गत भवनों का विक्रय केवल दो विकल्प ऑफर आधार तथा विशेष भाड़ाक्रय योजना अंतर्गत किया जाना है।
4. यदि एक ही भवन हेतु एकमुश्त ऑफर (OTS) तथा विशेष भाड़ाक्रय आधार पर आवेदन मण्डल को प्राप्त होता है तो, ऐसे स्थिति में एकमुश्त आधार पर प्राप्त ऑफर/आवेदन को प्राथमिकता दी जावेगी।
5. यदि एक ही भवन हेतु विशेष भाड़ाक्रय आधार पर एक से अधिक आवेदन मण्डल को प्राप्त होता है तो, ऐसे स्थिति में प्राप्त आवेदन के वरिष्ठता के आधार पर भवन का आवंटन किया जावेगा।
6. प्राप्त ऑफरों को प्रत्येक शुक्रवार के स्थान पर विज्ञाप्ति दिनांक से 15–15 दिवस के अंतराल में खोला जावेगा।
7. ऑफर में उच्चतम ऑफर का निर्णय 01 सप्ताह के अंदर प्रदान किया जावेगा व उक्त समय तक धरोहर राशि विना ब्याज के मण्डल के पास जमा रहेगी।
8. ऑफर स्वीकृति के उपरांत ऑफर की शेष राशि आवंटन आदेश जारी होने के 03 माह के अंदर जमा करने पर ऑफसेट मूल्य में 10 प्रतिशत तथा 03 माह से 06 माह के अंदर जमा करने पर ऑफसेट मूल्य में 05 प्रतिशत की छूट दी जावेगी एवं 06 माह पश्चात् राशि जमा करने पर किसी प्रकार की छूट प्रदान नही किया जावेगा। यह योजना दिनांक 31 मार्च 2022 तक संपूर्ण भुगतान पर लागू है।
9. ऑफर में भाग लेने के पूर्व भवन का अवलोकन किया जावे व आवंटन पश्चात् यथा स्थिति में दुकान/भवन का कब्जा दिया जावेगा।
10. विशेष भाड़ाक्रय योजना में आवंटन पश्चात् तथा आधिपत्य के पूर्व 30 प्रतिशत राशि 3 माह के भीतर जमा करना आवश्यक होगा उसके पश्चात् अनुबंध निष्पादन किया जावेगा तथा शेष 65 प्रतिशत राशि 5/10/12 वर्ष के मासिक किश्तों में देय होगा। वर्ष का विकल्प हितग्राही द्वारा चयन किया जावेगा।
11. विशेष भाड़ाक्रय योजनांतर्गत आबंटित भवनों पर 8.15 प्रतिशत की दर से ब्याज भारित किया जावेगा।

Scanned with CamScanner

विशेष भाड़ाक्रय योजना में विधवा महिला, शासकीय कर्मचारी, निगम/मण्डल के कर्मचारी, शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों के संविदा कर्मचारी, सैनिक/भूतपूर्व सैनिक तथा स्वास्थ्यकर्मी आदि को अंतिम किस्तों के भुगतान के समय कुल देय ब्याज राशि में 15 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावेगी।

13. विशेष आवासीय योजना में आवंटी द्वारा किस्तों में विलंब की स्थिति में मण्डल नियमानुसार विलंबित अवधि का ब्याज भारित किया जायेगा तथा लगातार तीन किस्तों के भुगतान नही करने पर सक्षम अधिकारी से नियमानुसार दण्ड/निष्कासन की कार्यवाही की जायेगी।

14. यदि भवन क्रय करने में तकनीकी या अन्य किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो निम्न मोबाईल नंबर पर संपर्क करें :–

क्र.	विवरण	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	मोबाईल नंबर
1	संपदा से संबंधित समस्या	श्री चित्रसेन साहू, संपदा अधिकारी, (प्रभारी) छ.ग. गृह निर्माण मण्डल	99078–40881
2	ऑनलाईन/तकनीकी समस्या	श्री के. अशोक (आई.टी.शाखा)	96850–99329
3	ऑनलाईन भुगतान से संबंधित समस्या	श्री शिवम शेखर (प्रभारी पेमेंट गेटवे ICICI Bank)	70771–02017

13/01/2021

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
मुख्यालय,पर्यावास भवन,नवा रायपुर
अटल नगर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner